केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/13 दिनांक: 13.06.2016
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00013
CICOM/R/2015/01065
अपीलकर्ता : श्री विजय कुमार गर्ग,
एफ-49, विशाल कालोनी,
नांगलोई, दिल्ली – 110041.

निर्णय की तारीख : 01.06.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	23.10.2015
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	18.11.2015, 10.12.2015, 23.12.2015, 19.02.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री अविनाश चन्द्र पटेल, श्री दिनेश कुमार, श्री सुशील कुमार, श्री योगेश कुमार सिंहल
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	15.12.2015
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	183086/18.12.2015
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	609/23.12.2015

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से 6 बिंदुओं जानकारी मांगी थी । अपीलकर्ता ने अभियोग लगाया है कि बिंदु सं. 1,5 व 6 से संबंधित सूचना उन्हें प्राप्त नहीं हुई है तथा बिंदु सं. 2, 3 एवं 4 के तहत प्रदान की गई सूचना से वे संतुष्ट नहीं है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री अविनाश चन्द्र पटेल, संयुक्त सचिव व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा बिंदु सं. 2, 3 व 4 के तहत प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा अधोहसताक्षरी इससे पूर्णतः सहमत हैं । बिंदु सं. 1 के संदर्भ में श्री योगेश कुमार सिंहल, संयुक्त सचिव व जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 19.02.2016 को सूचना प्रदान की गई है, परन्तु प्रदान की गई सूचना अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट नहीं है, तथा बिंदु सं. 6 के संदर्भ में श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 10.12.2015 को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है, जिसकी प्रतिलिपि अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है । बिंदु सं. 5 के संदर्भ में सूचना उपलब्ध करवाने हेतु श्री सुशील कुमार, उप-सचिव व जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 23.12.2015 को आवेदन श्री अनिल कुमार गेहलोत, संयुक्त सचिव को अग्रसारित किया गया है, परन्तु श्री अनिल कुमार गेहलोत द्वारा वांछित सूचना अभी तक अपीलकर्ता को उपलब्ध नहीं करवाई गई है । अतः श्री कुमार पुखराल, अनुभाग अधिकारी (विधि अनुभाग) व जन सूचना अधिकारी को बिन्दु सं. 1 एवं श्री अनिल कुमार गेहलोत, संयुक्त सचिव व जन सूचना अधिकारी को बिंदु सं. 5 के संदर्भ में निर्देश दिया जाता है इस आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के अंदर अपीलकर्ता को वांछित सूचना स्पष्ट व पूर्ण रूप में उपलब्ध करवाई जाए ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
14 JUN 2016
Initials

C. I. C./के० सू० आ०
ISSUED
14 JUN 2016
D No.

---2/-

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

अधोहस्ताक्षरी (प्रथम अपीलीय अधिकारी) के पास कार्य की अधिकता एवं हिंदी टंकण जानने वाले कार्मिक की अनुपलब्धता के कारण अपील के निपटान में हुई देरी के लिए खेद है ।

सलग्नक : यथोपरि ।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री अनिल कुमार गेहलोत, संयुक्त सचिव व जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
3. श्री किशोर कुमार पुखराल, अनुभाग अधिकारी (विधि) व जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
4. श्री सुशील कुमार, उप-सचिव (प्रशा0) व जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
5. श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

14/6/16

14/6/16

14-6-2016

14/6/16